



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 918) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-32/2026-6282/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 19, 2026]

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 को संशोधन करने हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना । जबकि, सरकार और/अथवा ट्रस्ट (न्यास) अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा स्थापित संस्थाओं में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना, प्रबंधन कार्यक्रम के परम्परागत और नवीन विधाओं को संचालित एवं संबद्धता प्रदान करने तथा शिक्षण, अनुसंधान के प्रसार एवं उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा इससे जुड़े अथवा इसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए भी बिहार राज्य में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित एवं सम्मिलित करने के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 पारित किया गया था।

अब, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा-11(5) के आलोक में नियुक्त कुलपति तीन वर्षों की पदावधि के पश्चात् "कुलाधिपति, उनसे उस अवधि तक, जो कुल एक वर्ष से अनधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे," के स्थान पर "कुलाधिपति, उनसे उस अवधि तक, जो कुल तीन वर्ष से अनधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे," का प्रावधान किये जाने हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा-11(5) में संशोधन करने की आवश्यकता है।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :

- (1) इस अधिनियम को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की धारा 11(5) का प्रतिस्थापन। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा- 11(5) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु कुलाधिपति, कुलपति की पदावधि की समाप्ति के पश्चात् उस अवधि तक, जो कुल तीन वर्ष से अनधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे :

परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु सीमा पचहत्तर वर्ष होगी।"

बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-32/2026-6283/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 19, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनो शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव ।

[Bihar Act 19, 2026]
The Bihar Engineering University (Amendment) Act, 2026
AN
ACT

to amend the Bihar Engineering University Act, 2021.

Preamble:-

To establish and incorporate a University in the name of Bihar Engineering University in the State of Bihar to conduct and facilitate affiliation of institutions set up by the Government and/or the Trust or Society or Company in the conventional as well as new frontiers of Engineering & Technology, Architecture and Planning, Management Programme and also to achieve excellence in teaching, research and extension work in these areas and other matters connected therewith or incidental thereto.

Now, in the light of Section 11(5) of the Bihar Engineering University Act, 2021, it is necessary to amend Section 11(5) of the Bihar Engineering University Act, 2021 so that, after the expiry of the tenure of three years of the Vice-Chancellor appointed thereunder, in place of the words, "the Vice-Chancellor may continue to remain in office for such period, **not exceeding a total period of one year**, as may be specified by him," the words, "the Vice-Chancellor may continue to remain in office for such period, **not exceeding a total period of three years**, as may be specified by him," are provided.

Now, therefore, in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, the Legislature of the State of Bihar enacts as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) This Act may be called as The Bihar Engineering University (Amendment) Act, 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Substitution of Section 11(5) of the Bihar Engineering University Act, 2021.—

For Section 11(5) of the Bihar Engineering University Act, 2021, the following shall be substituted:—

"The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office;

Provided that, after the expiry of the tenure of the Vice-Chancellor, he may continue to remain in office for such period, not exceeding a total period of three years, as may be specified by him.

Provided further that, the maximum age limit for continuing in the office of the Vice-Chancellor shall be seventy-five years."

BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 918-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>